



## अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने [अयोध्या](#) में 'मंदिरों का संग्रहालय' बनाने के लिये [टाटा संस](#) के प्रस्ताव को अनुमति दी, जिसकी अनुमानित लागत 750 करोड़ रुपए है।

### मुख्य बटु

- राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सहि के अनुसार, कंपनी अपने [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(Corporate Social Responsibility-CSR\) फंड](#) का उपयोग करके परियोजना का प्रबंधन करेगी।
  - [पर्यटन](#) विभाग इस [अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिये](#) कंपनी की ज़मीन को 90 वर्षों के लिये पट्टे पर देगा, जिसके लिये उसे मात्र 1 रुपए का शुल्क देना होगा।
  - कंपनी मंदिर शहर में और अधिक [विकास परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए](#) का निवेश करेगी।
- मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
  - शुरुआत में [25 शोधकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा](#), जिनमें से प्रत्येक को 40,000 रुपए दिये जाएंगे, जिसमें 30,000 रुपए भुगतान के लिये और फील्ड ट्रिप के लिये 10,000 रुपए और टैबलेट दिये जाएंगे। [वेपर्यटन विकास](#) में सहयोग करेंगे तथा [इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करेंगे](#)।
- कैबिनेट बैठक के दौरान स्वीकृत अन्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे:
  - लखनऊ, प्रयागराज और कपलिवस्तु में हेलीपैड बनाकर [सार्वजनिक-निजी भागीदारी \(PPP\) मॉडल](#) के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ।
  - [निष्क्रिय वरिसत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिये](#), जैसे- लखनऊ में कोठी रोशन दूल्हा, मथुरा में बरसाना जल महल और कानपुर में शुक्ला तालाब।
  - प्रस्ताव का उद्देश्य [भारतीय दंड संहिता](#) की जगह [भारतीय न्याय संहिता 2023](#) को देश की नई दंड संहिता के रूप में लागू करना है। इसके अतिरिक्त, [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023](#) और [भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023](#) को भी लागू किया जाएगा।

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR)

- [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(CSR\)](#) की अवधारणा यह विचार है कि कंपनियों को [पर्यावरण और सामाजिक कल्याण](#) पर अपने प्रभावों का आकलन करना चाहिये तथा उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये एवं [सकारात्मक सामाजिक व पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिये](#)।
- [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के चार मुख्य प्रकार हैं](#):
  - पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी
  - नैतिक ज़िम्मेदारी
  - परोपकारी ज़िम्मेदारी
  - आर्थिक ज़िम्मेदारी
- [कंपनी अधिनियम, 2013](#) के अंतर्गत CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है या जिनकी [नविल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है](#) या जिनका [शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है](#)।
  - अधिनियम के तहत कंपनियों को एक [CSR समिति](#) गठित करने की आवश्यकता होती है, जो [निर्देशक मंडल](#) को [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति](#) की सफ़ाई करेगी तथा समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी।

